

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

निबंधित

पत्रांक.....

दिनांक,.....

5(स०) अपील (लिंकन होम) -24/2016

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री लिंकन होम एप्लाइसेंस एण्ड पॉवर सिस्टम,
प्रो०- श्री राम पदारथ राउट,
पुत्र-स्व० भिखारी राउट,
C-22 औद्योगिक क्षेत्र- पाटलीपुत्रा,
पटना- 13

विषय:-

दायर अपीलवाद सं०-24/2016 ^{में पारित आदेश} की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री लिंकन होम एप्लाइसेंस एण्ड पॉवर सिस्टम बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक..... 2809

दिनांक..... 03.07.18

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०-

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आ दे श फ ल क
अपील संख्या 24/2016
सर्वश्री लिंकन होम एप्लीयेसेस एण्ड पावर सिस्टम, पाटलीपुत्रा
बनाम्
प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

21/6/2018

प्रश्नगत अपील मेसर्स लिंकन होम एप्लीयेसेस एण्ड पावर सिस्टम, औद्योगिक प्रांगण पाटलीपुत्रा द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1762/डी0 दिनांक 31.03.2016 के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं उभय पक्षों को सूना।

अपीलकर्ता के बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें मिक्सी टोस्टर, कुलर, आयरन, इर्भटर एवं यू0पी0एस0 उद्योग की स्थापना करने हेतु औद्योगिक प्रांगण पाटलीपुत्रा में 2349 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा बताया गया कि इकाई कार्यरत है। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1762/डी0 दिनांक 31.03.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

गत सुनवाई दिनांक 26.04.2017 को पारित अन्तरिम आदेश के आलोक में सचिव बियाडा का पत्रांक 324/डी0 दिनांक 11.07.17 प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की संक्षिप्त विवरणी है कि इकाई द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग वाणिज्यक अर्थात् किराये के रूप में बिना किसी अनुमति के किया जा रहा है।

अपीलकर्ता के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकनोंपरान्त अपीलकर्ता को यह निदेश दिया जाता है कि वे अद्यतन किये गये कार्य का साक्ष्य सहित अनुमत शर्तों के आलोक में कच्चे सामानों की आपूर्ति (Input Bills) प्रस्तुत करें। बियाडा को निदेश दिया जाता है कि इकाई का पुनः निरीक्षण कर उक्त भूमि पर शो-रूम बनाने के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दें। साक्ष्य प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रश्नगत अपील की सुनवाई हेतु तिथि का निर्धारण किया जायेगा।

21/6/2018
(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/6/2018
प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।